कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, मथुरा।

पत्रांक 02 /जि0क0अ0/वृ0पें0यो0/आधार प्रमाणीकरण/2021–22 दिनांक 02 अप्रैल, 2022

1– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/
प्रभारी बाल विकास पिरयोजना अधिकारी

2– समस्त मुख्य सेविका
जनपद मथुरा।

विषयः– राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनरों का शत–प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक में निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या सी–1189/स0क0/एन0एस0ए0पी0/वृ0पें0यो0/2021–22 दिनांक 09 मार्च, 2022, पत्र संख्या–1121 दिनांक 01.02.2022, पत्रांक संख्या सी–1154 दिनांक 16.02.2022, पत्र संख्या–1176 दिनांक 03.03.2022 एवं पत्र संख्या–1227 दिनांक 25.03.2022 के द्वारा वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन कर रहें 69406 लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण करने शत–प्रतिशत निर्देश दिये गये थे।

उक्त के संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा के मौखिक अनुरोध के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शहरी क्षेत्र/ग्रामीण में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहें लाभार्थियों के वृद्धावस्था पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण (आधार नम्बर, खाता संख्या, वृद्धावस्था पेंशन रजिस्ट्रेशन एवं मोबईल नम्बर) का कार्य जनसेवा केन्द्र जाकर आगंनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से प्रतिदिन न्यूनतम 20 वृद्धावस्था पेंशनरों के वृद्धावस्था पेंशन पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण कराते हुये पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। वृद्धावस्था पेंशन का आधार प्रमाणीकरण न होने की स्थिति में पेंशनरों की आगामी किश्त का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार समस्या हेतु दूरभाष संख्या–9917022390/9410038841 पर सम्पर्क करें।

(डॉ0 अभिनव कुमार मिश्रा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
मथुरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1– जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3– संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4– उप निदेशक, समाज कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
5– समस्त खण्ड विकास अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से उक्त कार्य को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
मथुरा।